दिनांक	आज्ञा-पत्र
२५/12/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र व अप्रार्थीगण का काउंटर टी.आई. का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर राजस्व के हो [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र–153/2014

1. गोरूराम पुत्र नानूड़ा उम्र 55 वर्ष जाति बलाई निवासी कदमा का बास, तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. फूसा पुत्र स्व. सुरजा
2. जुवारी बेवा ईशर
3. गिरधारी पुत्र स्व. ईशर
4. जगदीश पुत्र स्व. ईशर
5. छोटूराम पुत्र स्व. ईशर
6. लालचंद पुत्र स्व. ईशर
7. मूलचंद पुत्र स्व. ईशर
   समस्त जाति बलाई निवासीगण कदमा का बास, तहसील धोद जिला सीकर
8. तहसीलदार धोद, तहसील धोद जिला सीकर
9. उपपंजीयक धोद, जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति–
01. श्री हरीश कुमार शर्मा, वकील प्रार्थी की ओर से
02. श्री नवीन शर्मा, वकील अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 की ओर से

–आदेश–

दिनांक– 24.12.2019

01. आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का एक दावा अत्यंत ही ठोस आधारों पर पेश किया है, जिसमें प्रार्थी को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का दूजोद तहसील धोद में आराजियात खसरा नं. 157 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 158 रकबा 2.2100 हेक्टेयर, खसरा सं. 159 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 171 रकबा 2.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 172 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 173 रकबा 1.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 174 रकबा 1.2500 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.4500 हेक्टेयर अवस्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा है एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 2 ता 6 का 5/18 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 7 का 1/18 हिस्सा चला आ रहा है। इसी मुताबिक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि में अपने आवास निवास हेतु मकानात बनाकर काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 प्रार्थी के कब्जेशुदा कृषि भूमि में बरतरफ व बेदखल करने की कुचेष्ठा में लगे हुये है तथा अवैध तरीके से प्रार्थी के कब्जेशुदा शामलाती भूमि को भूमाफिया लोगों को विक्रय करके प्रार्थी को अपने हिस्से से बेतरफ व बेदखल करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 अपनी इस कुचेष्ठा में सफल हो गये, तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
धोद म सीकर

Scanned with CamScanner

प्रतिबन्धित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 को जरिये अस्थायी निषधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का दूजोद तहसील धोद में अवस्थित आराजियात खसरा नं. 157 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 158 रकबा 2.2100 हेक्टेयर, खसरा सं. 159 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 171 रकबा 2.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 172 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 173 रकबा 1.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 174 रकबा 1.2500 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.4500 हेक्टेयर में प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेतरफ व बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से बाज रहें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4, 5 व 7 की ओर से अभिभाषक श्री नवीन शर्मा ने उपस्थित होकर जवाब मय काउंटर टी.आई. पेश किया। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से अलग से जवाब मय काउंटर टी.आई. पेश किया गया, परन्तु उक्त में उल्लेखित तथ्य अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4, 5 व 7 के जवाब मय काउंटर टी.आई. के समान ही अंकित है। अतः अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4 ता 7 ने अपने जवाब मय काउंटर क्लेम में उल्लेखित किया कि विवादीत भूमियां उत्तरदातागण की जीविका का आधार है इसलिए उत्तरदातागण का ईरादा विवादित भूमियों को बेचान करने का नहीं है। विवादित भूमियां पैतृक कृषि आराजियात होकर उत्तरदातागण मौके पर काबिज काश्त है। विवादित भूमियों की आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व ही बंटवारा व सींव के संबंध में लिखावट दिनांक 05.08.1991 को लेखबद्ध की गई थी तथा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में डोल लगाई गई थी। मुताबिक उक्त लिखावट के खसरा सं. 157, 158, 173 के पूर्वी ओर का हिस्सा प्रतिवादी/उत्तरदाता सं. 2 ता 7 के पूर्वज ईश्वर के हिस्से में, मध्य का हिस्सा खसरा सं. 171, 174 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में तथा पश्चिमी ओर का खसरा सं. 159, 172 वादी के हिस्से में आया है। ईश्वर की वर्ष 2000 में मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान व वाद के पक्षकारान आज भी पूर्व में किये गये बंटवारे के अनु सार ढाणी बनाकर मौके पर काबिज, आबाद चले आ रहे है। इस प्रकार पूर्वजों के मध्य आपसी सहमति से लगभग 40 वर्ष पूर्व दिनांक 05.08.1991 को लेखबद्ध किये गये बंटवारे के अनुसार बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायसंगत है। टीआई के तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में न होकर उत्तरदातागण/काउंटरकर्तागण के पक्ष में है। प्रार्थी/वादी व काउंटरक्लेमकर्ता/अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 वर्ष 2004 से विवादित भूमियों में एक ट्यूबवेल का निर्माण कर शामलाती रूपयों से विद्युत विभाग से खाता सं. 2134–1705–0218 के जरिये कृषि कनेक्शन प्राप्त कर विवादित भूमियों की सिंचाई करते आ रहे है। विद्युत कनेक्शन व ट्यूबवेल में काउंटर क्लेमकर्तागण का 2/3 हिस्सा होकर काउंटर क्लेमकर्तागण ओसरेवार पानी प्राप्त करने के हकदार है, इस हेतु काउंटर क्लेमकर्तागण विद्युत विभाग को 2/3 हिस्से का एडवांस बिल भुगतान करने हेतु भी सहमत है। प्रार्थी द्वारा उत्तरदातागण/काउंटर क्लेमकर्तागण को ट्यबवेल से पानी लेने से मना करने से काउंटर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ। सुविधा का संतुलन काउंन्टरक्लेमकर्तागण के पक्ष में है। अतः जवाब टीआई मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिथ्या टी आई प्रार्थना–पत्र खारिज कर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से 40 वर्ष पूर्व दिनांक 05.08.1991 को लेखबद्ध किये गये एवं मौके पर विद्यमान बंटवारे के अनुसार बंटवारे की डिक्री जारी करते हुये पक्षकारों के संयुक्त धन से निर्मित व विद्युतीकृत ट्यूबवेल से टी आई काउंटरक्लेमकर्तागण को ओसरेवार पानी लिये जाने का वार व दिनांक तय किया जावे तथा प्रार्थी को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
धोद (सीकर)

Scanned with CamScanner

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थी ने काउंटर प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर टी.आई.प्रार्थना पत्र के समान तथ्य अंकित करते हुए काउंटर प्रा.पत्र को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के कथन दोहराये। अप्रार्थीगण/उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब मय काउंटर क्लेम के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण मौके पर बाहमी बंटवारा दिनांकित 05.08.1991 के अनुसार काबिज है। काउंटर टीआई स्वीकार की जावें तथा प्रार्थी की टीआई स्वीकार की जावें। अर्थात् दोनों पक्षों को समान रूप से पाबंद फरमाया जावें।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन–पत्र, जबाव आवेदनों एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

(A) प्रथम दृष्ट्या मामला– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2068–71 के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजियात में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 का हिस्सा मुताबिक जमाबंदी साबित है। चूंकि इस स्टेज पर आराजी का विकय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या एक दूसरे के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा सभी खातेदारान को भी अत्यधिक असुविधा होगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला उभयपक्षों के हक में बनता है।

(B) सुविधा का संतुलन– उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 सहखातेदार है तथा वर्षो से काबिज है। अतः सुविधा का संतुलन उभयपक्ष में है।

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात का बेचान होकर रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति उभयपक्षों को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी उभयपक्ष को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्ष को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का काउंटर टी.आई. का प्रा.पत्र स्वीकार कर उभय पक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात खसरा नं. 157 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 158 रकबा 2.2100 हेक्टेयर, खसरा सं. 159 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 171 रकबा 2.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 172 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, खसरा सं. 173 रकबा 1.0300 हेक्टेयर, खसरा सं. 174 रकबा 1.2500 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.4500 हेक्टेयर ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का दूजोद तहसील धोद के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ ही आराजियात में बने विवादित ट्यूबवेल को साझा रूप से समस्त खातेदारान अपने हिस्से की भूमि में सिंचाई करने हेतु उपयोग में लेते रहेंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, लोट मु. सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.01 13:13:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: